फाइल नं0-71-1001(099)/454/2021

75/2023/I/320917/2023

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांक 24 मई, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के 500 शैय्या बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 02 नग उपकरण क्रय हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/706, दिनांक 29.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के 500 शैय्या बाल रोग चिकित्सा संस्थान में 01 नग उपकरण क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख में से 02 नग उपकरण की 05 वर्ष की वारण्टी (समस्त कर सहित) कुल धनराशि रू0 96,80,400.00 (रू0 छियानवे लाख अस्सी हजार चार सौ मात्र) से निम्नांकित सूची में उल्लिखित विवरणानुसार उपकरणों का क्रय किये जाने की राज्यपाल महोदय अनुमति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	प्रति नग अनुमानित धनराशि/मात्रा	निविदा की स्थिति न्यूनतम निविदादात का नाम एंव मेक माडल	न्यूनतम मूल्य (प्रति नग) 5 वर्ष की वारंटी सहित (समस्त कर सहित)	न्यूनतम मूल्य (प्रति नग) 5 वर्ष की वारंटी एवं 5 वर्ष की सीएमसी सहित (समस्त कर सहित)	क्रय मात्रा	प्रस्तावित कुल क्रय मूल्य 5 वर्ष की वांरटी सहित (समस्त कर सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ultrasound Machine	01 /5000000.00 2/10000000. 00	3 rd tender Bid Received-3 Technical qualify-2 fb open-2 M/s Mars healathcare, Licknow make-philips model-Affiniti 30	4840200.00	5920600.00	02	96,80,400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

3- उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष उपकरण का क्रय किये जाने में निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

1. इस सम्बन्ध में राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों में उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017 , दिनांक 11.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017 , दिनांक 28.12.2017 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित उपकरणों/एसेसिरीज आदि के लिए निविदा में अर्ह फर्म द्वारा इन्ही विशिष्टियों हेतु इससे कम दर पर कही आपूर्ति नहीं की गई है तथा प्राप्त दरें इन स्पेसिफिकेशन हेतु अन्य संस्थानों/मेडिकल कालेजों तथा उ0प्र0 मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन व अन्य शासकीय निकायों द्वारा की गई निविदा में प्राप्त दरों से अधिक नहीं है। इसका दायित्व संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।
3. महानिदेशक, चि0शि0/सम्बन्धित प्रधानाचार्यगण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तालिका में वर्णित उपकरणों का क्रय चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत उपकरणों की विशिष्टियों के अनुरूप किया गया हो।
4. तालिका में वर्णित उपकरणों का क्रय उन्हीं स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा, जिनका विवरण निविदा में किया गया है तथा जिस फर्म का न्यूनतम निविदा मूल्य प्राप्त हुआ है। तालिका में न्यूनतम निविदा मूल्य का उल्लेख कर दिया गया है। संबंधित उपकरण का क्रय न्यूनतम निविदा मूल्य वाले फर्म से किए जाने की कार्यवाही संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
5. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय की अनुमति हेतु प्रस्तावित उपकरणों का समस्त क्रय निविदा हेतु निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत है। इसमें कुछ भी अन्यथा कोटेशन आदि पर आधारित नहीं है , जैसा कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए- 1-864/दस-08-15(1)/86 , दिनांक 23.09.2008 में सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय सीमा के अनुसार है , जिसमें 1.00 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री के लिए निविदा आमंत्रित करना अनिवार्य है।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय के लिए आवश्यक मात्रा के टुकड़े-टुकड़े करके उसे उपर्युक्त वित्तीय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया गया है।
7. संबंधित वस्तु/सामग्री उद्योग निदेशालय द्वारा निर्णीत किए गए किसी दर अनुबन्ध के अन्तर्गत नहीं आती है।
8. प्रस्तावित स्पेसिफिकेशन्स का उपकरण उद्योग निदेशालय , उत्तर प्रदेश/ डी0जी0एस0एन0डी0 भारत सरकार के दर अनुबन्ध में उपलब्ध नहीं है तथा जिन्हे सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां नहीं बनाती है।
9. प्रश्नगत उपकरण/सामग्री के सीधे क्रय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट/अनुदान उपलब्ध है तथा क्रय की कुल धनराशि इस हेतु आवंटित बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
10. क्रय की जाने वाली वस्तुओं की दर बाजार के वर्तमान दरों के अनुसार है।
11. क्रय की जाने वाली वस्तु/उपकरण के संबंध में अंतिम भुगतान से पूर्व संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि आपूर्ति की गयी वस्तु/सामग्री उत्तम गुणवत्ता (स्टैन्डर्ड

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्वालिटी) की है तथा मांगी गयी तकनीकी स्पेसीफिकेशन्स की पूर्ति करती है तथा जाँच में भी उपयुक्त पायी गयी है। इस संबंध में पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मांगकर्ता/क्रय अधिकारी की होगी।

12. महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण , उ 0प्र 0, लखनऊ सुनिश्चित करेगें कि क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया है।
13. प्रश्नगत क्रय प्रक्रिया में शासनादेश दिनांक 03.02.2011 तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग- 1 के अपेंडिक्स- 19 के प्रस्तर- 31 में निर्दिष्ट व्यवस्था का अनुसरण/विनिश्चय करते हुये निविदा में प्राप्त दरों का परीक्षण/निगोशिएशन किया गया है।
14. क्रय की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के निमित्त यथावश्यकता आपूर्ति विदेशी प्रतिष्ठान के अधिकृत भारतीय प्रतिनिधि से प्राप्त करने हेतु सीधे क्रय अथवा साख-पत्र (एल0 सी0)/ अपरिवर्तनीय साख पत्र (आई0एल0सी0) भारतीय मुद्रा में राष्ट्रीयकृत बैक में स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
15. सी0एम0सी0 सहित अनुमोदित दर के अनुसार वारण्टी अवधि समाप्त होने के बाद सी0एम0सी0 अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करायी जाए।
16. उपकरणों के क्रय में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के सुसंगत शासनादेश तथा उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल 2016 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. उक्त के अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 2 के शासनादेश संख्या- 11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) /2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
18. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय से पूर्व संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम दरों पर ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा।
19. तकनीकी दृष्टिकोण से क्रय किये जा रहे उपकरण की विशिष्टियाँ उपयुक्त हैं, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण एंव सम्बन्धित प्रधानाचार्य की होगी।
20. सुसंगत नियमो का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए युक्तिसंगत दर पर गुणवत्ता के साथ ही उपकरण को क्रय किया जाये। सभी प्रकार की आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 96,80,400 (रुपये छियानबे लाख अस्सी हजार चार सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056500 मेडिकल कालेज , गोरखपुर में 500 शैय्या वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना मानक मद 26 मशीनें और सज्जाउपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक -17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0पी0 सिहं)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्यातद्दिनांक/, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. महालेखाकार ,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधानाचार्य ,राजकीय मेडिकल कालेज ,गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपकरण प्राप्ति के समय विशेषज्ञ से उसकी गुणवत्ता की जांच एंव क्रियाशीलता के बारे में परीक्षण कराने के बाद ही उपकरण की प्राप्ति स्वीकार करेंगे।
3. वित्त नियंत्रक, निदेशालय ,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र 0लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक ,राजकीय मेडिकल कालेज ,गोरखपुर ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी ,गोरखपुर ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्वय-नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिहं)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।